द जनरल मैनेजर, पेंच एरिया, पारसिया, एम. पी.

एवं अन्य

बनाम

बारकन @कन्हैय्या

13 दिसंबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे. जे.]

विनिर्दिष्ट अनुतोष

रोजगार अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुतोष के लिए मुकदमा, यह आक्षेपित करते हुये कि एक विशिष्ट प्रावधान के बावजूद, अपीलकर्ताओं ने उत्तरदाता के पुत्र को नियुक्त नहीं किया- की अनुरक्षणियता-माना गयाः अनुरक्षणीय नहीं है, क्योंकि अपीलार्थियों द्वारा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य से पता चलता है कि प्रत्यर्थी का पुत्र नियोजित किया गया है- विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 - धारा 14.

प्रत्यर्थी ने अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुतोष के लिए मुकदमा यह आरोप लगाते हुये दायर किया कि अनुबंध में एक विशिष्ट प्रावधान के बावजूद, अपीलकर्ताओं ने उनके बेटे को नौकरी पर नहीं रखा। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे काे डिक्री किया । प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय

द्वारा आदेश को बरकरार रखा गया था। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने यह सिद्वांत प्रतिपादित कियाः एक पूर्व आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलार्थियों को यह प्रकट करने के लिये दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी कि प्रत्यर्थी नं 1 के पुत्र को उसके नामांकन पर नियुक्ति दे दी गई थी। एेसा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। यद्यपि उक्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालयों के रिकॉर्ड का भाग नहीं था, परंतु पत्रावली पर अन्य साक्ष्य से यह प्रकट हुआ कि वास्तव में प्रत्यर्थी संख्या 01 का पुत्र जिसका नाम "गुंटू" है को प्रत्यर्थी संख्या 01 के निवेदन पर नियुक्त् किया गया। न्यायालय के आदेश के अनुसार अपीलार्थी द्वारा अभिलेख पर रखा गया दस्तावेज़ भी इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। यह देखते हुये इस मामले में प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा दायर वाद खारिज किए जाने के योग्य हैं और विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में पारित आदेश खारिज किए जाने के योग्य है। [पैरा 5 और 6] [586-बी-डी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2001 की 2711

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय पीठ जबलपुर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 21.12.1999 से जो कि दूसरी अपील 1996 की संख्या 856 में पारित किया गया।

अपीलार्थियों के लिए अनीप सचथे और मोहित पॉल।

उत्तरदाता के लिए बी. के. सतीजा।

न्यायालय का निर्णय डाॅ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया।

1. इस अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर पीठ के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

प्रत्यर्थी ने रोजगार के अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुतोष के लिए एक मुकदमा दायर किया। अपीलार्थियों के अनुसार, उनकी भूमि कर्मचारियों के लिए आवासों के निर्माण के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई थी। भूमि के संबंध में बिक्री-विलेख निष्पादित किया गया था और एक पूर्ववर्ती समझौते में विशिष्ट प्रावधान था कि चार व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना था। आरोप था कि केवल तीन लोगो को रोजगार प्रदान किए गए और आश्वासन के बावजूद प्रतिवादियों ने वादियों को नौकरी नहीं दी।

3. प्रतिवादियों का रुख था कि मुकदमा चलने योग्य नही है। वास्तव में, चार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस स्थिति को स्वीकार किया कि तीन व्यक्तियों को

रोजगार दिया गया था। लेकिन अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी को कोई नौकरी प्रदान नहीं की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि भले ही वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वादी के एक पुत्र को रोजगार दे दिया गया है। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा भी समान राय रखी गई।

4. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी का यह रुख है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 14 को देखते हुए विनिर्दिष्ट अनुतोष के लिए वाद अनुरक्षणीय नही है और कुछ अपवादों के अधीन है। यह माना गया था कि चूंकि चार व्यक्तियों को नियुक्त करने का वादा एक गंभीर वादा था। अतः अपीलार्थियों को वादे से बच निकलने की अनुमति इस आधार पर नही दी जा सकती कि अधिनियम की धारा 14 इस प्रकृति के मुकदमें को दायर करने को प्रतिबंधित करती है।

5. 31 मार्च, 2000 के आदेश द्वारा, अपीलकर्ताओं को यह दिखाने के लिए कि प्रत्यर्थी नम्बर 01 के पुत्र को उनके नामांकन पर नियुक्ति दी गई थी दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति इस न्यायालय द्वारा दी गई थी। वह दस्तावेज दाखिल किया गया है। हालाँकि यह दस्तावेज़ नीचे के न्यायालयों के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था। लेकिन यह दिखाने के लिए अन्य सबूत उपलब्ध थे कि वास्तव में प्रतिवादी नं. 01 का बेटा जिसका नाम

"गुंटू" है प्रतिवादी नं. 01 के अनुरोध पर नामित किया गया था। इस न्यायालय के आदेश के अनुसार अपीलार्थी द्वारा अभिलेख पर रखा गया दस्तावेज़ भी इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है।

6. मामले में इस दृष्टिकोण से प्रतिवादी सं. 01 का वाद खारिज किये जाने योग्य है और विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय और दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए जो हम निर्देशित करते हैं।

7. अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा तक दी जाती है। कोस्ट के सम्बन्ध में को कोई आदेश नही दिये जा रहे है।

अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अरुण गोदारा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।